

UG-10502

B Com. (Part-III) Term End Annual
(Main) Examination, March-April-2025

Compulsory/Optional

Group -II

Paper - I

Indirect Taxes with GST

Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 75

नोट : सभी प्रश्नों के उत्तर दीजिए। सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

Note : Answer **all** questions. **All** questions carry equal marks.

इकाई-I/Unit-I

1. एक आयातक को सीमा शुल्क अधिकारियों से माल छुड़ाने के लिए क्या-क्या कार्यवाहियाँ करनी पड़ती है?

What formalities are complied with by an importer for clearance of goods from customs authorities?

(Turn Over)

(2)
अथवा/OR

हिन्द लिमिटेड ने एक मशीन अमेरिका से आयात की जिसका मूल्य 26,000 डॉलर था। इसके सम्बन्ध में निम्न सूचनाएँ प्राप्त हैं:

Hind Ltd. imported a machine from America at price of 26,000 dollars. Following informations are available.

(i) पैकिंग व्यय 900 डॉलर

Packing Charges 900 dollars

(ii) भारतीय बन्दरगाह तक परिवहन व्यय 1,350 डॉलर

Transportation charges to Indian Port 1,350 dollars.

(iii) डिजाइन एवं विकास व्यय जो भारत के बाहर चुकाए गए 4,100 डॉलर

Design and development expenses incurred outside India 4,100 dollars

(iv) भारतीय बन्दरगाह से कारखाने तक चुकाया गया भाड़ा ₹25,500

Transportation charges from Indian Port to Factory ₹25,500

-10502

(Continued)

(3)

- (v) भारत में भुगतान किया गया बीमा प्रीमियम
₹17,500
Insurance Premium paid in India
₹17,500
- (vi) कारखाने में मशीन लगाने के व्यय ₹9,500
Installation charges of Machine in
the factory ₹9,500
- (vii) अमेरिकन कम्पनी के भारत में स्थित अधिकर्ता
को विक्रय मूल्य पर 5% कमीशन रूप्यों में
भुगतान किया गया।
5% Commission on selling price to
Agent in Indian Rupees in India of
American Company
- (viii) बोर्ड द्वारा अधिसूचित विनिमय दर 1 डॉलर=₹60
Exchange rate notified by the Board
1 dollar=₹60
- (ix) रिजर्व बैंक द्वारा घोषित विनिमय दर 1 डॉलर
=₹60.50
Exchange rate declared by the
Reserve Bank 1 dollar=₹60.50.
- (x) मूल सीमा-शुल्क दर 10%
Rate of Basic Duty 10%

UG-10502

(Turn Over)

(4)
मूल सीमा शुल्क दर 10%
Rate of Integrated Tax u/s 3(7) of
C.G. Excise Act is 18%
दिए गए विवरण शुल्क एवं देय सीमा शुल्क बात
कीजिए।

Find out the customs duty payable
and assessable value.

इकाई-II/Unit-II

2. मादक पदार्थों के निर्माण, कब्जा एवं विक्रय से संबंधित
छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के प्रावधानों का संक्षेप
में वर्णन कीजिए।

Explain in brief the provisions of C.G.
Excise Act relating to manufacture,
possession and sale of intoxicants.

अथवा/OR

जून 2023 में महासमुन्द के भण्डार गृह से निम्न मादक
पदार्थ निर्गमित किए गये थे:

The following intoxicants were issued
from Mahasamund warehouse during the
month of June 2023:

UG-10502

(Continued)

(5)

- | | |
|---|-------------------|
| (i) डिस्की (मूल्य ₹2,400 प्रति पूफ लीटर) | 2,000 पूफ लीटर |
| Whisky (Rate ₹2,400 per case) | 2,000 Proof Litre |
| (ii) मसालेदार देशी मदिरा | 1,000 पूफ लीटर |
| Spiced Country Liquor | 1,000 Proof Litre |
| (iii) दवा बनाने के लिए भांग | 50 किलोग्राम |
| Bhang for Medicinal Use | 50 Kg |
| (iv) भांग घंटा ठेकेदार को भांग | 100 किलोग्राम |
| Bhang to a contractor of
Bhang Ghonta | 100 Kg |
| (v) भारत-तिब्बत सीमा पुलिस के अधिकृत
कैंटीन को रम | 500 पूफ लीटर |
| Rum to the authorised canteen
of Indo-Tibet Boarder Police | 500 Proof Litre |
| (vi) जिन (मूल्य ₹1,630 प्रति पूफ लीटर) | 200 पूफ लीटर |
| Gin (Rate ₹1,630 per P.L.) | 200 Proof Litre |
| (vii) कॉर्डियल (मूल्य ₹1,950 प्रति पूफ लीटर) | 400 पूफ लीटर |
| Cordial (Rate ₹1,950 per P.L.) | 400 Proof Litre |
| (viii) सादा देशी मदिरा | 100 पूफ लीटर |
| Plain Country Liquor | 100 Proof Litre |
| (ix) रम (मूल्य ₹2,020 प्रति पूफ लीटर) | 300 पूफ लीटर |
| Rum (Rate ₹2,020 per P.L.) | 300 Proof Litre |
| (x) ब्राण्डी (मूल्य ₹2,600 प्रति पूफ लीटर) | 200 पूफ लीटर |
| Brandy (Rate ₹2,600 per P.L.) | 200 Proof Litre |

UG-10502

(Turn Over)

(6)

छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम के अन्तर्गत देय कर की
गणना कीजिए।
Calculate the tax payable under the C.G.
Excise Duty Act.

इकाई-III/Unit-III

3. जी.एस.टी. वैट, सेवाकर एवं उत्पाद कर शुल्क में
अन्तर कीजिए।
Differentiate between GST, VAT, Service
Tax and Excise Duty.

अथवा/OR

जी.एस.टी. परिषद् की संरचना एवं कार्यों को समझाइये।
Explain the structure and functions of
GST Council.

इकाई-IV/Unit-IV

4. जी.एस.टी. विधान के अधीन पंजीकरण की क्या प्रक्रिया
है? अपंजीकरण के क्या परिणाम हैं?
What is the procedure for registration
under GST Laws? Explain the
consequences of non-registration.

UG-10502

(Continued)

(7)

अथवा/OR

जी.एस.टी. उद्ग्रहण के लिए पूर्ति का मूल्य क्या होता है? यदि प्रतिफल पूर्णतः मुद्रा में नहीं है, तब मूल्य का निर्धारण किस प्रकार किया जाता है?

What is the value of supply for levy of GST? How the value would be determined if consideration not wholly in money?

इकाई-V/Unit-V

5. ABC Ltd. ने ₹20,000 का माल आयात किया, जिसके अंतिम विक्रय योग्य माल के निर्माण के सम्बन्ध में कुछ व्यय किए। माल के आयात पर 10% की दर से मूल सीमा शुल्क (BCD) भी देय है। निर्मित माल का विक्रय राज्य के अन्दर ₹95,000 में किया गया, जिस पर जी.एस.टी. भी देय है। CGST एवं SGST की दर क्रमशः 6% एवं 6% है। आयातित माल की लागत की गणना के साथ-साथ, शुद्ध देय जी.एस.टी. की भी गणना कीजिए।

ABC Ltd. imported goods for ₹20,000 and incurred expenses to produce final saleable goods. BCD @10% was Chargeable on imported goods. These

UG-10502

(Turn Over)

(8)

manufactured goods were sold within the state at ₹95,000 plus applicable GST. Rate of CGST and SGST is 6% and 6% respectively. Compute cost, sale value and tax payable for the transaction.

अथवा / OR

टिप्पणी लिखिए:

Write short notes on:

- (a) स्वयं निर्धारण
Self Assessment
- (b) अल्प निर्धारण
Summary Assessment
- (c) सर्वोत्तम विवेकाधीन निर्धारण
Best Judgement Assessment